

सल्तनत काल की शासन व्यवस्था

प्रमोद कुमार शर्मा

दिल्ली के सुल्तानों ने लगभग तीन शताब्दियों तक उत्तरी भारत पर शासन किया। इस दीर्घकाल में अलाउद्दीन खिलजी, फीरोजशाह तुगलक और सिकन्दर लोदी जैसे कुछ प्रमुख शासकों ने एक सुदृढ़ शासन-प्रबन्ध की व्यवस्था की। इस शासन पद्धति का मूल आधार तो फारसी और अरबी शासन प्रणालियाँ थीं। किन्तु सैन्य संगठन तुर्क-मंगोल पद्धति से किया गया था, जबकि हिन्दुओं की भू-राजस्व पद्धति को भी कायम रखा गया था। इस प्रकार प्रशासनिक पद्धति मिश्रित ढंग की थी।

सुल्तानों में प्रशासनिक अनुभव, योग्यता और सृजनात्मक क्षमता नहीं थी और एक-दो को छोड़कर वे समुचित सुधार लाने में असमर्थ थे। उनकी राजस्व व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पुलिस आदि सभी व्यवस्थाएँ दोषपूर्ण थीं। उनका स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था। प्रशासन को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। जन-कल्याण और प्रजा की भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए राज्य को चिन्ता नहीं थी। शासक और शासितों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना, निष्ठा आदि का सर्वथा अभाव था। ऐसी व्यवस्था न तो लोकप्रिय हो सकती थी और न ही स्थायी।